



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार**  
पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना - 800001  
PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA - 800001  
Phone: 0612.2533404 Email: [rd-bihar@esic.nic.in](mailto:rd-bihar@esic.nic.in)  
Website: [www.esic.nic.in/](http://www.esic.nic.in/) [www.esic.in](http://www.esic.in)

सं. 42-A-33/13/2-LDC/2021/Estt.III

दिनांक: 22.12.2025

### **कार्यालय आदेश सं. 242 वर्ष 2025**

सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.12.2025 में की गयी अनुशंसा के अनुसार बिहार क्षेत्र में तैनात निम्नलिखित बहुकार्य कर्मचारी के सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स, पे-लेवल - 2 (रु 19900 - 63200) में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति के आदेश दिए हैं:-

The competent authority has issued orders for the regular promotion of the following multi-tasking employee, currently posted in the Bihar region, to the post of Lower Division Clerk in the Pay Matrix, Pay Level - 2 (Rs. 19900 - 63200) of the 7th Pay Commission, as recommended by the Departmental Promotion Committee meeting held on 22.12.2025:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी सं.	वर्तमान तैनाती	आदेशित तैनाती (अस्थायी)
1	राज कुमार साव	158087	राजभाषा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	यथावत
2	विकाश कुमार	172966	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ	यथावत
3	बिजेश कुमार ठाकुर	173320	वित्त एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	यथावत
4	विक्रम कुमार मिश्रा	173577	क्षे.नि. के निजी सहायक कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	यथावत

1. उक्त कर्मचारी की नियमित प्रोन्नति उनके प्रोन्नत पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मानी जाएगी।

Regular promotion of the said employee shall be considered from the date of joining of the promoted post.

2. यदि कर्मचारी नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं तो इसकी सूचना पत्र प्राप्त के 07 दिनों के अंदर प्रशासन शाखा को भेजें। नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करने की स्थिति में पुनः उन्हें एक वर्ष तक इस पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी जाएगी तथा नियमानुसार उनकी वरीयता की क्षति होगी। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि उनसे कनीय कर्मचारी को इस पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वो कनीय कर्मचारी निम्न श्रेणी लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची में वरीय हो जाएंगे।

If the employee does not accept regular promotion, then inform it to the administration branch within 07 days of receiving the letter. In case of not accepting regular promotion, he will not be given regular promotion to this post for one year and as per rules, his seniority will be lost. During this one year period, if a junior employee gets regular promotion to this post, then that junior employee will become senior in the seniority list of Lower Division Clerk cadre.

3. उपर्युक्त कर्मचारी की प्रोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2023 जो समय-समय पर संशोधित होते रहें हैं, के अधीन इस संवर्ग में लागू होने वाली सेवा शर्तों के तहत होगी।

The promotion of the above employee will be subject to the service conditions applicable to the cadre under the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023 as amended from time to time.

4. उपरोक्त कर्मचारी के द्वारा FR-22(1)a(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अंदर किया जा सकता है। एक माह के पश्चात वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।




The option for fixation of pay under FR-22(1)a(1) can be exercised by the above employee within one month from the date of issue of the order. No application for fixation of pay received after one month will be considered.

5. नियमित प्रोन्नत पद पर योगदान की स्वीकृति/अस्वीकृति प्रशासन शाखा को भेजी जाए।

Acceptance/rejection of contribution to regular promoted post should be sent to the Administration Branch.

सेवा में,  
संबंधित कर्मचारी।

  
(आशीष रंजन कुमार)  
सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यार्थ):-

1. डीन/चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम मेडिकल अस्पताल सह महाविद्यालय, बिहटा, पटना।
2. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना।
3. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव।
4. सभी शाखा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, पटना।
5. सभी शाखा प्रबंधक / शाखा प्रभारी, शाखा कार्यालय / DCBO, क.रा.बी. निगम, बिहार क्षेत्र।
6. शाखाधिकारी (ई.डी.पी. शाखा) को बिहार क्षेत्र की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. व्यक्तिगत संचिका/गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।